VOL- VIII ISSUE- VII JULY 2021 PEER REVIEW e-JOURNAL IMPACT FACTOR 7.149 ISSN 2349-638x

शासकीय योजनाओं का ग्रामीण विकास पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० अनिता धुर्वे
शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
सरोज कुमारी
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

सारांश :

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान तक ग्रामीण समृद्धि के लिए चलाए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का दायरा अत्यन्त व्यापक रहा है। किसानों को मिलने वाली हर तरह की सब्सिडी (चाहे वह किसी भी रूप में हो) से लेकर ग्रामीणों के जीवन स्तर और गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाएँ, मनरेगा, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन से लेकर स्वास्थ्य बीमा और जननी सुरक्षा जैसी योजनायें सामाजिक सुरक्षा का अंग है और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती रही हैं/कर रही हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में ग्रामीण समृद्धि हेतु सामाजिक सरोकारों से युक्त उन सरकारी योजनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें राज्य/केन्द्र सरकारों की तरफ से धन का आवंटन किया जाता रहा है/जा रहा है, और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ गांव में रहने वाले ग्रामीणों को मिलता है/मिल रहा है।[1]

प्रस्तावना

विश्व भर में चाहे सभ्यता के विकास की बात हो या राजनैतिक चेतना की अथवा आर्थिक प्रणाली के प्रक्रिया की, सभी का मूल ग्रामीण अंचल से जुड़ा है और ग्राम्य प्रधान हमारा देश तो अधिकांश जनता को गांवों की ही छाया में समेटे हुए है। प्राचीनकाल से भारत ग्रामीण समुदायों की भूमि रहा है, वर्तमान में भी है एवं भविष्य में भी रहेगा। तथ्यगत दृष्टि से ग्राम व्यवस्था वैदिक काल से ही प्रशासन की मूल इकाई रहा है, ऋग्वेद में ग्रामिणी (ग्राम प्रमुख) का सन्दर्भ आता है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण चरित्र की प्रमुखता यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत से प्रतिबिम्बित होती रही है - १९०१ में यह ८९: थी, १९५१ में ८३: , १९७१ में ८०:, १९९१ में ७४: एवं २००१ में ७२:/७४.२ करोड़ से अधिक लोग अब भी गाँवों में रहते हैं एवं वानिकी तथा मत्स्य पालन समेत कृषि का वर्ष २००७ के मूल्यों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में लगभग १८: योगदान है। ऐसे में भारत की सामाजिक आर्थिक विकास की कोई भी रणनीति ग्रामीण लोगों एवं क्षेत्रों की अवहेलना करके सफल नहीं हो सकती है। अर्थव्यवस्था के ग्रामीण चरित्र एवं ग्रामीण जीवन के पुनरूद्धार के लिए महात्मा गांधी जी ने जोर दिया था उन्होंने हरिजन में ४ अप्रैल १९३६ को लिखा था - "भारत की पहचान उसके कुछ शहरों से न होते हुए इसके सात लाख गांवों से है। लेकिन हम कस्बों/शहरों में रहने वाले लोगों का मानना है कि भारत कस्बों/शहरों में रहता है तथा गांवों को हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है। हमने तनिक ठहर कर यह जानने का प्रयास किया कि क्या इन गरीब ग्रामीणों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन एवं पहनने को कपड़े हैं तथा क्या उनके पास धूप एवं बारिश से बचने के लिए उनकी अपनी छत है।" उन्होंने हरिज (२९ अगस्त १९३६) में यह भी लिखा है 'मैं कहना चाहूँगा कि यदि गांव समाप्त होते हैं तो भारत भी समाप्त हो जायेगा। यह भारत के रूप में नहीं बचेगा। विश्व में भारत का जीवन लक्ष्य ही गुम हो जायेगा। ग्रामीण विकास का पुनरूद्धार केवल तभी सम्भव है जब इसका और अधिक शोषण न हो।" अतः ग्रामीण विकास भारत की एक निरपेक्ष एवं त्वरित आवश्यकता रही है/है एवं यह आने वाले समय में भी बनी रहेगी। भारत के विकास के लिए यह नितान्त आवश्यक है।[2]

शोध अध्ययन क्षेत्र :

विदित है कि किसी भी शोध कार्य के समग्र का अध्ययन करना अत्यन्त कठिन होता है अतः शोध कार्य सम्पन्न करने हेतु समग्र का कुछ ऐसा भाग लिया जाता है जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता हो और जिससे समग्र का

सही-सही समुचित अनुमान लगाया जा सके। शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के उत्तरी देशान्तर में स्थित जनपद अम्बेडकरनगर के ग्रामवासियों पर प्रशासित किया गया है इस पर पर्याप्त गम्भीरता से विचार करके कि क्षेत्रवासियों में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, देख कर चयन किया गया था। शोध-अध्ययन क्षेत्र चयन में प्रमुखतया जनपद अम्बेडकरनगर के दो विकास खण्डों क्रमशः रामनगर, जहाँगीरगंज का चयन ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया गया। आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित ६ विकास खण्डों क्रमशः अकबरपुर, कटेहरी, भीटी, टाण्डा, बसखारी, जलालपुर, भियांव, रामनगर एवं जहाँगीरगंज हैं जिसमें से सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीण जनसंख्या इन्हीं दो विकास खण्डों में स्थित है। परिणाम स्वरूप इन्हीं दो विकास खण्डों में स्थित गाँवों को अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु बनाया गया।

शोध अध्ययन विधि :

शोध हेतु प्रस्तावित अध्ययन बहुआयामी स्वरूप का है जिसका शोध प्रारूप वर्णनात्मक है। प्रस्तावित अध्ययन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्यों का उपयोग अध्ययन को विश्वनीय और वैज्ञानिक बनाने के लिए किया गया है। प्राथमिक तथ्यों की प्राप्ति की दृष्टि से शोधार्थिनी ने अनुसूची तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है तथा द्वितीयक तथ्यों की दृष्टि से विविध प्रकार की प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों आदि से सामाग्री प्राप्त की है। यही नहीं प्रमाणिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी अभिलेखों का उपयोग भी यथावसर किया गया है।

शोध अध्ययन उद्देश्य

प्रस्तावित शोध-अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किये गये उनमें क्रमशः -

१.प्रथम उद्देश्य यह है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जो बाधाएँ एवं अन्तर्विरोध उपस्थित होते हैं उनका सही आंकलन एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

२. द्वितीय ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अवरोधक के रूप में प्रस्तुत होने वाली सामाजिक समस्याओं यथा - रीति-रिवाज एवं परम्पराओं आदि का अध्ययन करना।

३. तृतीय संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आमजनमानस एवं स्थानीय लोगों के विचारों में समरूपता का न हो पाना भी बाधक का कार्य करता है, का अध्ययन करना।

४. चतुर्थ समन्वित रूप में - समाज में जागरूकता की कमी के कारण विकास को न समझ पाना, भारतीय संस्कृति में व्याप्त रूढ़ियाँ एवं संस्कृति में पारदर्शिता का न होना, परम्परावादी मानसिकता के कारण निम्न स्तर का जीवन-यापन करना आदि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न करती है, का अध्ययन करना।

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है - राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का यह कथन आज भी उतना ही सत्य है जितना आज से कई दशकों पहले तक हुआ करता था। वैसे जिक्र जब भी गांव या गांव की तरक्की का होता है तो जेहन में सिर्फ किसान की ही तस्वीर उभर कर सामने आती है, जबकि हकीकत में गांव एक समग्र समाज का रूप होता है जहाँ तमाम जातियों के लोग रहते हैं। अपने हाथ सें मेहनत कर समाज को कुछ न कुछ देने वाले मेहनतकश इंसान रहते है। किसान से लेकर बढ़ई तक, कुम्हार से लेकर लोहार तक, हर कामगार तबका गांव में रहता है जो मेहनतकश और अपने आप में आत्मनिर्भर होता है और ये सब मिलकर ही गांव के समाज का निर्माण करते हैं इसलिए जब बात गांव के विकास और समृद्धि की आती है तो हमें किसानों के साथ-साथ उन सबके विकास को भी सोचना होगा।[३]

ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ-साथ समाज के उपरिवर्णित सम्पूर्ण ढाँचे में होन वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिक विकास की बेहतर सम्भावनायें उसी स्थिति में हो सकती है जब ग्रामीण विकास-प्रक्रिया में जनता की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाय, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाय। भूमि सुधार आदि कार्यक्रमों को उत्तम ढंग से क्रियान्वित किया जाय तथा अन्य ऋण एवं निवेश की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाय। साथ ही, सामाजिक सरोकारों से सम्बन्धित सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा, आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, रोजगार, आजीविका, कौशल विकास, असमानता एवं भेदभाव का खात्मा तथा जीवन के लिए जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति में सुधार किया जाय और ग्रामजनों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने का प्रयास भी समान रूप से किया जाय।

उपरोक्त मानकों के आधार पर सामाजिक सरोकारों के सम्बद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सरकारी प्रयायों को हम निम्नलिखित तरीके से विवेचित/आरेखित कर सकते हैं :-

ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न शासकीय योजनाएँ :

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ होती है और यह योजनाएँ अब भी चलायी जा रही हैं। ग्रामीण विकास हेतु अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों में - सामुदायिक विकास कार्यक्रम (१९५२), राष्ट्रीय विस्तार सेवा (१९५३), खादी एवं ग्रामीण कार्यक्रम (१९५७), ग्रामीण आवासीय योजना (१९५७) बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड कार्यक्रम (१९५७), पैकेज कार्यक्रम (१९६०), गहन जिला कृषि कार्यक्रम (१९६०), व्यावहारिक कार्यक्रम (१९६२), ग्रामीण उद्योग परियोजना (१९६३), गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (१९६४), उच्च उत्पादकतावादी किस्मों का कार्यक्रम (१९६६), कुआँ निर्माण कार्यक्रम (१९६६), ग्रामीण कृषि कार्यक्रम (१९६९), सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम (१९७०), ग्रामीण रोजगार हेतु नगर योजना (१९७१), लघु कृषक विकास एजेन्सी (१९७१), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (१९७२), जनजाति विकास हेतु पाइलट योजना (१९७२), पाइलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (१९७२), न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (१९७२), कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम (१९७४), विशेष दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम (१९७२), काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना (१९७७), ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम (१९७७), सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम (१९७९), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (१९८३), तथा सातवीं योजना (१९८४-९०) में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, अग्नि बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा कोष, सामूहिक बीमा योजना, आबादी पर्यावरण सुधार परियोजनाओं का कार्यक्रम, जल धारा एवं कुटीर ज्योति कार्यक्रम शुरू किये गये जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास माना गया।[४]

वर्तमानकालिक संचालित कुछ महत्वपूर्ण शासकीय योजनाएँ :

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी मानते थे कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र शक्तिशाली और स्वावलम्बी नहीं बनेंगे तब तक देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश आर्थिक गतिविधियों में विस्तार के साथ रोजगार के मौके भी सुलभ कराता है। इससे ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को गति मिलती है और गरीबी पर भी प्रहार होता है। उपरोक्त के आलोक में वर्तमानकालिक सरकार द्वारा भी अनेक कल्याण कारी योजनाओं का संचालन ग्रामीण विकास हेतु किया जा रहा है जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं।

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

इसके तहत प्रस्तावित कुछ उल्लेखनीय पहलों में शामिल हैं ४ क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, १५ हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, २ मोबाइल अस्पताल और एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॅर वन हेल्थ की स्थापना। इस योजना के भाग के रूप में १७ नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी और ३३ मौजूदा इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा। सभी जन-स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को विस्तारित एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र को सुदृढ़ करने की भी योजना बनाई गई है जिसमे इसकी ५ क्षेत्रीय शाखाएं अेर २० महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयां शामिल हैं। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कवरेज का विस्तार करने के लिए क्रमशः १७७८८ और ११०२४ स्वास्थ्य एवं देखभाल केन्द्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित किया जाएंगे। इसके अतिरिक्त ६०२ जिलों और १५ केन्द्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे।[५]

आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य एवं कल्याण

किसी भी सार्वभौमिक कवरेज प्रणाली के मूल में एक समान और समय पर प्राथमिक देखभाल का प्रावधान होता है। एक मरीज के लिए प्राथमिक देखभाल अक्सर स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क का पहला बिन्दु है। इस स्तर पर आनुवांशिक, पर्यावरण ओर व्यवहार सहित कई कारकों से उपजी व्यापक अनिश्चितता होती है। यह भी सच है कि अधिकांश बीमारियों को अधिक जटिल, इलाज में कठिन और महंगी बीमारियों में बदलने की दशा से पहले ही प्राथमिक देखभाल के स्तर पर निपटाया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत में प्राथमिक देखभाल काफी हद तक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के साथ-साथ संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है। हालांकि प्राथमिक देखभाल प्रणाली में सेवाओं का एक बहुत व्यापक पैकेज शामिल होना चाहिए।

इसलिए २०१८ और २०२२ के बीच चरणबद्ध तरीके से १,५०,००० स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों की सहायता से लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली प्रणाली की स्थापना आयुष्मान भारत का एक प्रमुख स्तंभ है।[६]

चयनित क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएँ :

सारणी क्रमांक-१

एलोपैथिक चिकित्सालय/ औषधालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ परिवार कल्याण केन्द्र/उपकेन्द्र

क्रम सं०	विकास खण्ड	ग्राम में	०१ किमी० से कम	१-३ किमी०	३-५ किमी०	५ किमी से अधिक	कुल
१.	रामनगर	७	५	३४	३२	११२	१९०
२.	जहाँगीरगंज	१०	१	५३	५७	११२	२३३

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)

हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली चाहे कितनी प्रभावी क्यों हो, इसके बावजूद लोगों को द्वितीयक ओर तृतीयक देखभाल की आवश्यकता बनी रहेगी। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के दूसरे स्तंभ पीएम-जेएई जैसी योजना के अभाव में गरीब मरीजों को अक्सर देरी से उपचार करवाने या उपचार बिलकुल न करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वास्तव में यह अनुमान है कि भारत में लगभग ६ करोड़ लोग उपचार पर होने वाले आकस्मिक व्यय के कारण गरीबी-रेखा से नीचे आ जाते हैं।

पीएम-जेएवाई अस्पताल- संबंधी खर्चों के लिए ५ लाख रुपये के वार्षिक स्वास्थ्य कवर के साथ सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवारों को लगभग १०.७४ करोड़ रुपये प्रदान करके इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। पीएम-जेएवाई के तहत कई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को समेकित करके सरकार ने -वन नेशन वन स्कीम की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है जिससे अंततः यह सुनिश्चित हुआ है कि सभी नागरिक देश में कहीं भी द्वितीयक ओर तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के समान पैकेज का लाभ उठा सकते है चाहे वे किसी राज्य में निवास करें।[७]

आयुष

स्वच्छ भारत के बाद सही पोषण, जीवन शैली ओर योग के बारे में जागरूकता के माध्यम से स्वस्थ्य भारत को एक जन-आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। भारत मे परम्परिक चिकित्सा विशेष रूप से आयुर्वेद ओर योग का एक समृद्ध इतिहास रहा है, हालांकि आयुष को आजादी के बाद वांछित मान्यता नहीं मिली है। पिछले कुछ वर्षो से सरकार ने आयुष को औपचारिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस प्रयास किए ओर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थानीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन २०१७ ने भी आयुष को मुख्यधारा में शामिल करने की सलाह दी है।

यह देखते हुए कि भारत बीमारी के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है। (कुछ अनुमानों के अनुसार ४ में से १ भारतीय ७० साल की उम्र तक गैर-संक्रामक रोग के कारण जान गवां सकता है), आधुनिक चिकित्सा अकेले समाधान नहीं दे सकती है। हाल के वर्षो में आयुर्वेद और योग समग्र स्वास्थ्य कल्याण प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुए हैं। एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व के साथ-साथ रसायनों की प्रचुरता वाले उत्पादों से दूर जाने की आवश्यकता के बारे मे जागरूकता बढ़ रही है। इसके अलावा, कोविड-१९ महामारी ने निवारक स्वास्थ्य और देखरेख की ओर बढ़ने को प्रेरित किया है। तनाव कम करने के साथ-साथ पुरानी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में आयुर्वेद और योग की महत्वपूर्ण भूमिका है।[८]

चयनित क्षेत्र में उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध कुछ प्रमुख सुविधाएँः

सारणी क्रमांक-२

प्रतिलाख जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या :

क्रम सं०	विकास खण्ड	२०१०-११	२०१४-१५	२०१५-१६
१.	रामनगर	२.०	०.८	०.८
२.	जहाँगीरगंज	१.७	०.५	०.५

सारणी क्रमांक-३

प्रतिलाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या -

क्रम सं०	विकास खण्ड	२०१०-११	२०१४-१५	२०१५-१६
१.	रामनगर	४.१	१.३	१.३
२.	जहाँगीरगंज	४.४	०.९	०.९

सारणी क्रमांक-४

प्रतिलाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या –

क्रम सं०	विकास खण्ड	२०१०-११	२०१४-१५	२०१५-१६
१.	रामनगर	८.१	१६.३	१६.३
२.	जहाँगीरगंज	२३.२	१६.७	१६.७

स्टार्टअप

हमारे देश में एक बड़ी आबादी युवाओं की है, जिनमें कई हुनरबंद है, लेकिन अर्थाभाव एवं जानकारी के अभाव में वे बेरोजगार हैं। इसलिए देश में स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई है, जिसका मकसद युवाओं को रोजगार मुहैया कराना और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत युवाओं को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का फायदा लेने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की आधिकारिक वेबसाइट या एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें उन लोगों को योजना का लाभ दिया जाता है जिनका कारोबार ७ या १० वर्षों से २५ करोड़ से कम रहा है या फिर आवेदक नया उद्यमी है। नए उद्यमियों को कारोबार शुरू करने के लिए सराकर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। साथ ही कारोबार शुरू करने से पहले उद्यमी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नए कारोबारी से कारोबार लागत की २० प्रतिशत राशि पर कर नहीं वसूल किया जाता है। साथ ही, अगर नया कारोबार सही से नहीं चलता है तो सरकार नए कारोबारियों को ६० दिनों के अंदर अपने कारोबार को बंद करने की भी छूट देती है।

आज स्टार्टअप स्वरोजगार शुरू करने और दूसरी को रोजगार मुहैया कराने का एक महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ है। स्टार्टअप की मदद से बड़ी संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से अगर लोग आत्मनिर्भर होंगे तो देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित करना आसान होगा।[६]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण भारत के ऐतिहासिक बदलाव में बेहद अहम रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मद में २०२१-२२ में १५,००० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष २०२०-२१ में इस मद में १६,५०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे कोरोना संकट के दौरान संशोधित कर १३,७०६ करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष २०२१-२२ में हुआ प्रावधान इस संशोधित अनुमान से अधिक है। २५ दिसम्बर, २००० से आरम्भ हुई इस योजना से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में ६ लाख ४२ हजार किलोमीटर सड़कें बनी है। योजना के तीसरे चरण में ग्रामीण बसावटों के साथ-साथ स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों आदि से जोड़ने वाली एक लाख २५ हजार किमी. सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा।[१०]

सारणी क्रमांक-५

चयनित क्षेत्रों में सड़कों की लम्बाई –

क्रम सं०	विकास खण्ड	प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई किमी० में			प्रति हजार वर्ग किमी० पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई किमी० में		
		२०१०-११	२०१४-१५	२०१५-१६	२०१०-११	२०१४-१५	२०१५-१६
१.	रामनगर	१४४.३	१३२.६	१३५.७	८७६.८	६७८.६	६८५.१
२.	जहाँगीरगंज	१५७.७	१४६.२	१५०.१	१३०३.३	१४४६.१	१४५८.३

सारणी क्रमांक-६

चयनित क्षेत्रों में सड़कों की लम्बाई –

क्रम सं०	विकास खण्ड	प्रतिलाख जनसंख्या पर लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कों की लम्बाई किमी० में			प्रति हजार वर्ग किमी० पर लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कों की लम्बाई किमी० में		
		२०१०-११	२०१४-१५	२०१५-१६	२०१०-११	२०१४-१५	२०१५-१६
१.	रामनगर	१४३.८	१३२.४	१३२.४	८७६.६	६७५.८	६७५.८
२.	जहाँगीरगंज	१३३.४	१२७.२	१२७.२	११०२.८	१२३५.०	१२३५.०

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना भी बेहद अहम है। संसद में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए दो करोड़ घरों का उल्लेख करते हुए कहा कि

२०२२ तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति तेज की गई है। इस योजना के तहत २०२२ तक २.९५ करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। वर्ष २०२१-२२ में इस योजना के लिए २७,५०० करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण आवास योजनाए पहले भी रही लेकिन उनमें कई खामियां थीं जिनको दूर करते हुए २० नम्बर, २०१६ को नई योजना आरम्भ की गई। इसमें घरों में स्वच्छ जल, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं समाहित कर और सार्थक बनाया गया। घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर बढ़ाया गया और धन भी। साथ ही कुछ दूसरे रास्ते भी तलाशे गए। मनरेगा से ९० से ९५ दिन तक अकुशल श्रमिकों की मदद भी इसमें ली गई। इस योजना के साथ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से तालमेल बना कर एलपीजी कनेक्शन और सौभाग्य योजना से तालमेल कर बिजली कनेक्शन प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें समाहित है। इस योजना से बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेत मजदूरों को लाभ पहुंच रहा है। जितने भी घर बन रहे हैं, सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है।[११]

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के नाम से भी जाना जाता है, के तहत २०२४ तक सभी ग्रामीण घरों को कार्यशील नल कनेक्शन मुहैया कराना है। अगस्त २०१९ से आरम्भ की गई इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रति व्यक्ति ५५ लीटर दैनिक जल सुलभता के लिए ३.६० लाख करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसमें केन्द्रीय अंश २.०८ लाख करोड़ रुपये है। इसे जलशक्ति मंत्रालय साकार कर रहा है। वर्ष २०२१-२२ में इस मद में ५०,०११ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अगस्त २०१९ में देश के महज १७ फीसदी ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। लेकिन अब इस मिशन से ३५.२४ फीसदी ग्रामीण घरों में नल से पानी उपलब्ध है। गोवा देश का पहला रज्य बन गया है जहां शत-प्रतिशत परिवारों को जल नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके बाद तेलंगाना का स्थान है। जल जीवन मिशन राज्यों के साथ भागीदारी में चलाया जा रहा है।[१२]

सारणी क्रमांक-७

चयनित क्षेत्र के ग्रामों में पेयजल सुविधा की स्थिति : २०१५-१६

विकास खण्ड	नल/हैण्डपम्प इण्डिया मार्का लगाकर जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत ग्राम (संख्या)			सामान्य प्रयोग में लाये जा रहे स्रोतों के अनुसार ग्रामों की संख्या			
	पूर्णतः आच्छादित	आंशिक आच्छादित	लाभान्वित जनसंख्या	कुआँ/साधारण हैण्डपम्प	हैण्डपम्प इण्डिया मार्का-२	नल	अन्य
रामनगर	१९०	०	२,३७,८२३	०	०	१९०	–
जहाँगीरगंज	२३३	०	२,३१,२२	०	०	२३३	–

श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन

भारत सरकार ने १६ सितम्बर, २०१५ को ५१४२.०८ करोड़ रुपये की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन को मंजूरी दी थी। विकास की संभावनाएं समेटे ३०० सघन ग्रामीण बसावटों में आधारभूत सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना के विकास के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना शामिल है। इस मिशन के लिए २०२१-२२ में ६०० करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें १४ वांछनीय घटक शामिल है। आर्थिक कार्यकलाप ओर कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवाएं, संग्रहण और भंडारण, पूरी तरह सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई, स्कूल स्वच्छता, पाइप द्वारा जलापूर्ति ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गलियां और नालियां, स्ट्रीट लाइट, सड़क से जुड़ाव और सार्वजनिक परिवहन, एलपीजी गैस, डिजिटल साक्षरता और नागरिक सेवा केन्द्र शामिल हैं।१ यह योजना भी गति पकड़ रही है।[१३]

स्वामित्व योजना

इस साल की शुरूआत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरूआत की। इसके अन्तर्गत बड़ी

संख्या में गांवों में सम्पत्ति के मालिकों को अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तक ६ राज्यों के १२४१ गांवों के लगभग १.८० लाख सम्पत्ति मालिकों को कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष २०२१-२१२ के दौरान इसके दायरे मे सभी राज्यों ओर संघशासित क्षेत्रों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखा है। अब इस योजना में देश के हर गांव को शामिल किया जा रहा है। यह योजन भविष्य में गांवों के सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।[१४]

गरीब कल्याण रोजगार अभियान

गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बड़े पैमाने पर ढांचे तैयार किये गये हैं। अक्टूबर २०२० तक के आंकड़ों के अनुसार १,३७,७८७ जल संरक्षण ढांचा ४,३१,६४० ग्रामीण घर, ३८,२८७ मेवशियों के लिए शेड, २६,४५६ पोखर और १७,६३५ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा चुका है। इस अभियान के दौरान जिला खनिज निधि के माध्यम से ७,८१६ काम किये गये हैं। २,१२३ ग्राम पंचायतों में इंटरनेट, कनेक्टिविटी मुहैया करायी गयी है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित कुल २२,५६२ कार्य किये गये है जबकि कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ६५,३७४ उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है। अभियान के १६वें सप्ताह तक कुल ३३ करोड़ कार्य दिवस का रोजगार मुहैया कराया गया और अक्टूबर २०२० तक अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ३३,११४ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

दरअसल कोविड -१६ संकट के चलते अपने गांव लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण इलाको में इससे प्रभावित नागरिकों को रोजगार और अजीविका के अवसर मुहैया कराने के मकसद से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया था। उन छः राज्यों में यह अभियान मिशन मोड़ की तरह काम कर रहा है। जहाँ श्रमिक अपने पैतृक गांव लौटे हैं इन राज्यों के ११६ जिलों में यह अभियान अजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है।[१५]

नई ताकत बनता मनरेगा :

ग्रामीण समृद्धि में योगदान देने वाली केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना-मनरेगा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इस योजना का लाभ किसानों के साथ-साथ गांव में रहने वाले हर तबके के व्यक्तियों को मिलता है। इसलिए यह माना जाता है कि इस योजना से पैसा ग्रामीणों की जेबों में पहुंचता है और इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलता है।[१६] वर्ष २०२१-२२ के बजट में मनरेगा योजना के लिए ३७००० करोड़ रुपये आवंटित किये गये है। जो कि पिछले बजट की तुलना में तो अधिक हैं। मगर संशोधित अनुमान १,११,५०० करोड़ रुपये से ३४.५ प्रतिशत कम है। वैसे तो यह पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में ३८,५०० करोड़ रुपये कम है। लेकिन यह भी तथ्य है कि पिछले वित्तीय वर्ष में शुरूआत में आवंटित राशि की तुलना में यह ज्यादा है। पिछले वित्तीय वर्ष में पहले इस योजना के लिए ६१,५०० करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। लेकिन कोरोना काल में बड़ी बेरोजगारी के हालात के देखते हुए सरकार ने इसे ४०,००० करोड़ रुपये बढ़ाकर १,११,५०० करोड़ रुपये कर दिया था। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि भले ही सरकार ने बजट आवंटन को पिछले साल के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष कम कर दिया हो लेकिन अगर हालात नही सुधरे और मनरेगा की मांग ज्यादा रही तो सरकार संशोधन के जरिये आवंटित राशि को बढा भी सकती है।[१७]

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसे दूरे किए बिना ग्रामीण समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गांवों में बेराजगारी का एक और रूप भी पाया जाता है जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को न्यूनतम मजदूरी के बराबर या फिर उससे अधिक रोजगार दिलाने के लिए २५ सितम्बर, २०१४ को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देशभर में लगभग ५.५ करोड़ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर स्थायी रोजगार दिलाना है। यह भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई कई पहलों में से एक है। यह गरीबी कम करने के लिए एक मिशन है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इस योजना का महत्व गरीबी कम करने की इसकी क्षमता से है। इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इण्डिया' के लिए प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है।[१८]

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना ओर

विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। वैसे तो इस योजना को जून, २०११ में शुरू किया गया था लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस मिशन ने स्वयं सहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के ६०० जिलों, ६००० प्रखंडों, २५ लाख ग्राम पंचायतों अैर छः लाख गांवों के ७ करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को दायरे में लाने का और ८ से १० साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है, जो एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा होगा। इसके अतिरिक्त गरीब जनता को अपने अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने में, तरह-तरह के जोखिम उठाने में और सशक्तीकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को समझने में मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत गरीबों में सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकीकरण से जुड़ी क्षमताओं का विकास किया जाता है ताकि वो अपने जीवन-स्तर को सुधारने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में भी अहम योगदान दे सकें।[१६]

एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड मिशन

एक राष्ट्र एक राशनकार्ड वैसे तो राशन देने की योजना का विस्तार है, लेकिन इसका सीधा फायदा गरीबों को मिलता है। खासतौर से उन गरीबों को जो गांवों से पलायन करके शहर आ जाते हैं और संकट के समय जिन्हें फिर से गांव की तरफ ही जाना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए ही भारत सरकार ने इस योजना को लांच किया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ के अधीन राशनकार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सभी प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने एनएफएसए खाद्यान्न/लाभों तक पहुंच के लिए सशक्त बनाना है। वर्तमान में यह प्रणाली ३२ राज्यों/केन्द्रशासित प्रदशों में मूल रूप से लागू है और इन राज्यों ओर केन्द्रशासित प्रदेशों में लगभग ६६ करोड़ लाभार्थी इससे लाभ उठा रहे हैं। और यह एनएफएसए की ८६ प्रतिशत आबादी को कवर कर रही है।

एक देश, एक राशनकार्ड का मतलब एक ही राशनकार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। इस योजन को लागू करने का मूल उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति सब्सिडी-आधारित खाद्य पदार्थों से वंचित ना रहे। मार्च २०२१ तक शत-प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।[२०]

बेटियों के जन्म का उत्सव - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बेटा-बेटी एक समान ओर कन्या के जन्म का उत्सव मनाने के नारे के साथ प्रधनमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी २०१५ को हरियाणा के पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरूआत की थी। उन्होंने बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मानने और इस जम्नोत्वस पर ५ पेड़ लगाने का अनुरोध भी लोगों से किया। इसका लक्ष्य स्पष्ट था। शिशु लिंगानुपात की असमान दर को कम करने के साथ-साथ महिलाओं को मजबूत बनाना। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में च्ब तथा च्छक्ज कानून को सख्ती से लागू किया गया, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाया गया एवं साथ ही सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले १०० जिलों को छांट कर वहां विशेष अभियान शुरू किया गया। हरियाणा के बीबीपुर के एक सरपंच द्वारा शुरू किए 'सेल्फी विद डॉटर' अभियान ने तो देशभर में सुर्खियां बेटोरी थी।[२१]

सुकन्या समृद्धि योजना -सामर्थ्य योजना

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान केन्द्र सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्याश्री प्रकल्प और धनलक्ष्मी जैसी कई योजनाएं इसके अन्तर्गत आती हैं। इसके तहत सरकार कन्या के जन्म के समय प्रोत्साहन राशि, पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप और शादी के लिए सरकारी आर्थिक सहायता देती है। वर्ष २०१७-१८ में इस अभियान के लिए २०० करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस वर्ष सरकार ने इस तरह की कई योजनाओं के अन्तर्गत कुल २.५२२ करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस सामर्थ्य योजना में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कौशल कार्यक्रम, क्रेच ओर जेंडर बजट को भी एक साथ जोड़ दिया गया है।[२२]

उज्जवला योजना एक करोड़ और लोगों को मिलेगा लाभ

स्वच्छ ईंधन, बेहर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मई २०१६ को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत की थी। यह योजना एक धुंआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और उस समय वर्ष २०१६ तक ५ करोड़ परिवारों खासकर गरीबी-रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ इसकी शुरूआत की गई थी। अब तक देश के ८.३ करोड़ से ज्यादा परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। वर्ष २०२१-२२ का बजट पेश करते समय वित्तमंत्री ने उज्ज्वला योजना का

लाभ एक करोड़ और लाभार्थियों तक पहुचाने की घोषणा की। बजट पेश करते समय वित्तमंत्री ने बताया कि कोविड-१९ लॉकडाउन के दौरान भी बिना किसी रूकावट के ईंधन की आपूर्ति की गई। वित्तमंत्री द्वारा सदन को यह जानकारी भी दी गई कि ऑटोमाबाइल को सीएनजी उपलब्ध करवाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और धरों में पाइप कुकिंग गैस का विस्तार १०० और जिलों तक किया जाएगा।[२३]

निष्कर्ष एवं सुझाव :

हमारे देश भारत की लगभग तीन चौथाई आबादी गांवों में निवास करती है और भारत राष्ट्र तभी समर्थ होगा जब भारत के सभी वासी (ग्रामीण एवं शहरी) पिछड़ेपन और गरीबी से मुक्त हों। भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र तथा स्थायी विकास लाने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अनेक योजनाएँ कार्यान्वित करती रही है/कर रही हैं। जिनका उद्देश्य ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना है। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन तथा तीव्र आर्थिक/सामाजिक विकास करना है। तद्नुसार समाज के अत्यन्त अपेक्षित तथा सर्वहारा, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार लोगों पर केन्द्रित बहुआयामी नीति के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चतुर्दिक आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाना है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उद्यमिता, ग्रामीण बेघर लोगों को आवास, सभी ग्रामों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ना, मनरेगा आदि योजनाओं को ग्रामीण विकास के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

१. पाठक, सन्तोष : सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि :कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१ पृष्ठ-३९
२. सिंह, कटार : सिसोदिया यतीन्द्र सिंह (अनुवादक) : ग्रामीण विकास, सिद्धान्त नीतियाँ एवं प्रबन्ध : तृतीय संस्करण : रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ-६
३. पाठक, सन्तोष : सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि :कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१ पृष्ठ-३९
४. देव, पंकज कुमार : ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एक समाज शास्त्रीय अध्ययन) नई दिल्ली प्रकाशन-११०००२ पेज-२१
५. प्रसाद, उर्वशी : स्वस्थ्य नागरिकों से सशक्त राष्ट्र का निर्माण : कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१, पृष्ठ-११
६. वही।
७. वही, पृष्ठ-१२
८. वही।
९. सिंह, सतीश : स्टार्ट अप, उद्यमिता ओर बैंकिंग को मिलेगी मजबूती कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१, पृष्ठ-११५
१०. सिंह, अरविन्द कुमारः अवसंरचना विकास से सशक्त बनता ग्रामीण भारत ५ कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१, पृष्ठ-३०
११. वही, पृष्ठ-३१
१२. वही।
१३. वही, पृष्ठ-३२
१४. पाठक, सन्तोष : सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि : कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१ पृष्ठ-३९
१५. वही, पृष्ठ-४०
१६. सिंह, अरविन्द कुमारः अवसंरचना विकास से सशक्त बनता ग्रामीण भारत ५ कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१, पृष्ठ-३०
१७. पाठक, सन्तोष : सामाजिक सुरक्षा से ग्रामीण समृद्धि : कुरूक्षेत्र, मार्च-२०२१ पृष्ठ-३९
१८. वहीं, पृष्ठ-४१
१९. वही।
२०. वही।
२१. वही।
२२. वही।
२३. वही, पृष्ठ-४२

सारणी

संख्या-१: स्रोत - सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद-अम्बेडकरनगर-कार्यालय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।, पृष्ठ सं०-११४
सारणी संख्या-२: स्रोत - वही, पृष्ठ सं०-१४
सारणी संख्या-३: स्रोत - वही
सारणी संख्या-४: स्रोत - वही
सारणी संख्या-५: स्रोत - वही, पृष्ठ सं०-१३
सारणी संख्या-६: स्रोत - वही
सारणी संख्या-७: स्रोत - वही, पृष्ठ सं०-७९